


# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, फलौदी

प्रकरण संख्या:- 12/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. एस.आर.जी. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय- 321 एस.एम.लोढा, काम्पलैक्स, शास्त्री सर्कल के पास, उदयपुर 313001 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री खीवराज		1. श्री हरी सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, पता:- 63, फतेहगढ़, लाल चंद जीरों की ढाणी, तहसील शेरगढ़, देचू, जिला जोधपुर (वर्तमान फलौदी) , द्वितीय पता:- श्री हरि सिंह मारगेज आवासीय सम्पत्ति 422, लाल चंद जीरों की ढाणी , फतेहगढ़ तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर 2. श्रीमति सुगन कँवर पत्नि श्री हरि सिंह 63, फतेहगढ़, लाल चंद जीरों की ढाणी, तहसील शेरगढ़, देचू, जिला जोधपुर (वर्तमान फलौदी) 3. श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री भूरसिंह पता:- लाल चंद जीरो की ढाणी, तहसील शेरगढ़, देचू, जिला जोधपुर (वर्तमान फलौदी) 4. श्री श्रवण पुत्र श्री किशन सिंह पता:- लाल चंद जीरो की ढाणी, तहसील शेरगढ़, देचू, जिला जोधपुर (वर्तमान फलौदी)

  
जिला मजिस्ट्रेट  
फलौदी (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति:-

1. श्री चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

दिनांक :- 29/5/24

आदेश

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्री हरिसिंह पुत्र श्री गुमान सिंह व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

2. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख रुपये) मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण श्रीमति सुगन कँवर पत्नि श्री हरि सिंह मारगेज आवासीय सम्पत्ति अवस्थित पट्टा नम्बर 1, मिसल नम्बर 56/2017, ग्राम पंचायत देचू, शेरगढ़, जोधपुर राजस्थान जिसके पूर्व में आमसिंह एवं कवरू कँवर, पश्चिम में गुमान सिंह / भूरसिंह राजपूत, उत्तर में अमर सिंह / भूर सिंह राजपूत एवं दक्षिण में गली 13 फीट जिसका क्षेत्रफल 1706.25 वर्ग फीट प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि दिनांक 22.02.2023 तक 7,28,000/- रुपये एवं आगे तक ब्याज व अन्य खर्चों का पूर्ण भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा बैंक को सम्भालने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

1. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण का सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 7,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 22.02.2021 तक 7,28,000/- रुपये आगे का ब्याज व अन्य खर्च वसूल किये जाने हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट 2002 की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। तदपश्चात निम्नांकित तथ्य स्पष्ट है:-

1. पत्रावली में उपलब्ध भारत के राजपत्र भाग 2 के खण्ड 3 को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक विनियम विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि एसआरजी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की धारा 45 -झ के खंड (च) में निर्धारित एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक की आस्ति वाली ऐसी गैर बैंककारी

मला मजिस्ट्रेट  
फलीवी (राज.)

- वित्तीय कंपनियों जो पचास लाख रूपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूति ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए हकदार होगी, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।
2. पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि ऋणी के द्वारा बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण की शर्तों एवं निर्वन्धों के अनुसार पूर्ण भुगतान करने व्यतिक्रम किया है।
  3. बैंक द्वारा ऋण खाते को दिनांक 06.08.2020 द्वारा गैर निष्पादित सम्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत ऋणी एवं सहऋणीयों को नोटिस जारी किया जाना बताया गया है। किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि बन्धक सम्पत्ति के स्वामीयों (सहऋणीयों) को उक्त नोटिस की व्यक्तिशः तामील हुई है एवं उक्त नोटिस एवं अग्रिम कार्यवाही की सूचना ऋणी व सहऋणीयों को सम्यक रूप से प्राप्त हुई है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 धारा 13(2) के तहत मांग सूचना पत्र (नोटिस) की तामील की जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार नोटिस ऋणी या उसके एजेन्ट को जो नोटिस या दस्तावेज स्वीकार करने के लिए अधिकृत हो, को उसके वास्तविक निवास पर या व्यवसाय स्थान पर पंजीकृत डाक मय या अभिस्वीकृत (Regd with AD) द्वारा किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार ऋणी को TEXT MESSAGE या E-MAIL , स्पीड पोस्ट या कोरियर से भी तामील करवाई जा सकती है, जहाँ अधिकृत अधिकारी का यह विश्वास है कि ऋणी या उसका एजेन्ट तामील से जान बूझकर बच रहा है और उक्त प्रक्रिया अनुसार तामील संभव नहीं है तो नोटिस संबंधित व्यक्ति के, उस निवास या बाहरी दरवाजे पर सहज दृश्य स्थान पर चस्पानगी की जा सकती है। जहाँ वह सामान्य निवास करता है या व्यवसाय करता है। चस्पानगी के साथ ही मांग-पत्र का विवरण दो मुख्य समाचार पत्रों में जिनमें से एक स्थानीय स्तर पर चलन रखता हो, में प्रकाशन किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में नियमों में वर्णित उक्त प्रक्रिया का पालन मांग पत्र की तामील में किया जाना प्रकट नहीं होता है। धारा 13 (2) के तहत अप्रार्थी संख्या 02 को व्यक्तिशः नोटिस की तामिली अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही हेतु आज्ञापक आवश्यकता है। इससे यह भी प्रकट नहीं होता है कि बन्धक सम्पत्ति के स्वामी को नोटिस के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर उपलब्ध कराया गया हो।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि ऋणी/सहऋणीयों को व्यक्तिशः तामील न होने की स्थिति में वे ऋण पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में उपलब्ध वैकल्पिक उपायों जैसे EMI स्थगन, EMI राशि में कमी, ऋण अवधि बढ़ाने या पुनर्भुगतान शेड्यूल में बदलाव कर ऋण का पुनर्गठन कराने आदि विकल्पों के अवसर से वंचित हो जाते हैं।
6. प्रार्थी बैंक की ओर से श्री खींवराज वैष्णव को अधिनियम की धारा 14 के तहत समस्त तथ्यों को सत्यापित करने वाला शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। किन्तु

जिला मजिस्ट्रेट  
फर्रुखी (राज.)

पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज, अधिकार पत्र उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि श्री खींवराज उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाहियाँ करने, शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं सत्यापित करने हेतु बैंक द्वारा अधिकृत किये गए हो।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी बैंक उक्त विवेचन में वर्णित बिन्दुओं की पूर्ति कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक ..... 29/5/24 ..... को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट, फरौदी  
जिला मजिस्ट्रेट  
फरौदी (राज.)